अध्याय IV: परिचालन दोष के अन्य मुद्दे

कुछ अन्य मुद्दे जैसे हार्डवेयर का अनुचित आबंटन/उपयोग, अपर्याप्त आपदा प्रवन्धन प्रणाली, आईसीईएस 1.5 में हाथ द्वारा दर्ज किये गए आयात एवं निर्यात संव्यवहारों की अपलोडिंग न करना, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध किये गये हैं, भी लेखापरीक्षा में देखे गए।

4.1 हार्ड वेयर का अनुचित आबंटन/उपयोग

लेखापरीक्षा ने देखा कि चेन्नै सी तथा चेन्नै एयर कमिश्नरियों में उनके द्वारा प्राप्त 414 एवं 166 के प्रति केवल 250 तथा 100 थिन कलाईट टर्मिनल स्थपित किये गए थे। इसके अतिरिक्त, चेन्नै एयर तथा आईसीडी पटपडगंज के मामले में, यह देखा गया था कि प्रतिस्थापित 100 तथा 162 टर्मिनलों में से, केवल 80 तथा 30 टर्मिनल 31 मार्च 2013 को वास्तविक रूप से उपयोग में थे। यह संकेत करता है कि हार्डवेयर का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था।

विभाग ने अपने उत्तर में (जनवरी 2014) सीमाशुल्क हाउस चेन्नै एसीसी, चेन्नै तथा आईसीडी पटपड़गंज में आपूर्ति किये गए कुल थिन क्लाईंट्स, प्रयुक्त थिन कलाईट्स तथा उपयोग ना किये गए थिन क्लाईंट्स का तालिकाबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि डाटा उपरोक्त स्थानों पर 9 जनवरी 2014 को नियुक्त मैसर्स एचपी के रिपीडेन्ट इन्जिनियरों द्वारा किये गए स्थल सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रह किया गया है। आपूर्ति किये गए हार्डवेयर के कम उपयोग के लिए कारण आईसगेट में बीईज्/एसबीज् का आनलाइन फाइलिंग किया जाना, सेवा केन्द्र में प्रयोक्ताओं की संख्या का कम होने के कारण या जिसके परिणामस्वरूप थिन क्लाईंट्स का कम उपयोग होना, विभिन्न संवर्गो के अन्तर्गत अधिकारियों/स्टॉफ की कमी जिसके कारण प्रारंभिक अनुमानों के प्रति थिन क्लाईंटस/नोड्स की कम संख्या का उपयोग होना, तथा कोरियर तथा एपीएसओ फाइल किए गए बीईज् की प्रक्रिया से संबंधित माडयूलों की अनुपलब्धता के कारण आरंभिक अनुमानों के प्रति कम संख्या में थिन क्लाईंट्स का उपयोग किया जाना हैं। सीमाशुल्क आयुक्त, हवाईअड्डा तथा वायु नौभार चेन्नै ने सूचित किया कि विभाग में संवर्ग पुनर्संरचना के कार्यान्वयन के पश्चात सभी थिन क्लाईंट्स को उपयोग में लाया जाएगा।

सीबीईसी का उत्तर संकेत करता है कि उन्होंने स्वीकार किया कि हार्डवेयर का इष्टतम उपयोग नही किया जा रहा था एवं खरीद तथा संवितरण में उचित योजना का अभाव है।

4.2 तड़ित आघात से सुरक्षा

आईसीडी, पीतमपुर में तड़ित आघात से सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी। ईडीआई हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा स्टॉफ की सुरक्षा हेतु इसे स्थापित किया जाना चाहिए।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में बताया कि एलएएन परियोजना के कार्यान्वयन के समय विद्यमान निर्देशों के अनुसार स्थल तैयार करना अभिरक्षक का उत्तर दायित्व है। स्थिति के निराकरण हेतु की गई कार्रवाई उचित समय पर लेखापरीक्षा को सूचित की जाएगी।

अन्तिम परिणाम सूचित किए जाएं।

4.3 सीमित विद्युत बैक अप

आईसीडी, मंडीदीप (भोपाल) में उपलब्ध विद्युत बैक-अप की अवधि केवल आधा घण्टा थी जो इडीआई प्रणाली के काम करने की निरंतरता तथा डाटा की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त प्रतीत हुई ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में कहा कि केवल एलएएन परियोजना के अन्तर्गत ही विद्युत बैक-अप उपलब्ध कराया गया है। तथापि, स्थान की विशिष्ट आवश्यकताओं की जाँच की जाएगी तथा जैसा आवश्यक होगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। स्थिति का निराकरण करने हेतु की गई कार्यवाही की सूचना उचित समय पर लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

अन्तिम परिणाम सूचित किए जाएं।

4.4 हस्त्य रूप से दर्ज किये गए बिलों के विवरण आईसीईएस में दर्ज नहीं किये गए थे

यह देखा गया है कि एयर कस्टम, चेन्नै तथा तूतीकोरिन समुद्री सीमाशुल्क के संबंध में, आयातों के मामलों में ओओसी देने तथा निर्यातों के मामलों में निर्यात करने का आदेश (एलईओ) देने के पश्चात हस्त्य रूप से फाइल किए गए आयात तथा निर्यात बिलों के विवरणों की प्रविष्टि आईसीईएस प्रणाली में नहीं की गई थी। इसे बताए जाने पर, तूतीकोरिन सीमाशुल्क ने बताया (जून 2013) कि आईसीईएस में प्रविष्टि हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी2014) में बताया कि ऐसे डाटा की प्रविष्टि हेतु सेवा उपलब्ध है। इस संबंध में अनुदेश सभी फार्मेशनों को दोहराये जाएगें। सीमाशुल्क-पीएसी शाखा तूतीकोरिन द्वारा की गई कार्रवाई पर अलग से सुसंगत विवरण उपलब्ध कराएगी।

अन्तिम परिणाम सूचित किए जाएं।

5 निष्कर्ष

भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) लगभग 18 वर्षों से प्रचलन में है। इसने आयात तथा निर्यात की अनुमति, निर्धारण में पारदर्शिता तथा एकरूपता उपलब्ध कराने एवं व्यापार सरलीकरण से निर्धारणों के साथ संबंधित सीमाशुल्क विभाग की बहुत सी कारबार प्रक्रियाओ को एक साथ स्वचालित किया है। प्रबंन्धन स्तर पर वर्तमान निष्पादन समीक्षा में आईटी नीतिगत योजना, कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण नीति तथा आन्तरिक निर्धारण के लिए नीति एवं कोर एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में कमियाँ पाई गई।

विभाग के पास प्रणाली के भविष्य में विकास हेतु कोई रोडमैप नहीं है। इसने वर्षों से बेहतर प्रबन्धन तथा तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त श्रमबल की भर्ती करते हुए आईसीटी प्रणालियों एवं एप्लीकेशनों की निगरानी हेतु पर्याप्त आन्तरिक क्षमताएं निर्मित नहीं की जो परिचालन दक्षता को प्रभावित कर सकती हैं। कोर एप्लीकेशनों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने हेतु उनकी आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु कोई प्रावधान नहीं है। परिचालन के 18 वर्षों के बाद भी एवं पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में सीएजी द्वारा बताए जाने के बावजूद भी एप्लीकेशन स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डाटा प्रमाणीकरण जैसे सीमाशुल्क एवं उत्पाद छूट अधिसूचना मूल स्रोत देश आधारित छूट, आरएसपी आधारित निर्धारणों इत्यादि जो सही निर्धारणों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं की कमी पाई थी, जिससे गलत छूट अनुमत हो रही थी जिससे गलत उदघोषणाओं एवं लागत निर्धारण के लिए संभावना को छोडते हुए एप्लीकेशन द्वारा स्वीकार किया गया था, तथा राजस्व का परिणामी निसरण हुआ। अधिसूचनाओं शुल्कों, विनिमय दरों इत्यादि की प्रधान तालिकाओं के लिए डायरेक्टरी अद्यतन प्रक्रिया में उपयुक्त जाँच का अभाव भी पाया गया था जिसके कारण विलम्बित अद्यतन तथा गुम हुए अद्यतन का पता लगाने में विफलता हुई। संस्करण के आईसीईएस 1.0 से आईसीईएस 1.5 में उन्नयन करने में ₹ 604 करोड़ खर्च करने पर लागत एवं समय की बचत के रूप में

अनुरूपी लाभ का अनुमान नहीं लगाया गया। लेखापरीक्षा के पास ऐसे महत्वपूर्ण मिशन प्रणाली के निष्पादन संकेतकों के मापन पर कर किए गए जोखिमों तथा फीडबैक कार्यवाईयों का एक अविचलित आवश्वासन नहीं है।

सीबीईसी का आईएस प्रबन्धन स्टाइल पुनरावृति योग्य है परन्तु कुछ परिभाषा योग्य प्रक्रियाओं में अन्तर्ज्ञान संबंध नहीं है और तीव्र गति से बदलते हुए व्यापार एवं तकनीकी परिवेश में अननुपालन का पता न लगा पाने का जोखिम उत्पन्न करता है। आईसीईएस 1.0 से आईसीईएस 1.5 में अन्तरण करते समय आईएस के प्रबन्धन में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुए थे जैसाकि सीएजी द्वारा 2008 में निष्पादन लेखापरीक्षा से देखा गया। यद्यपि, डीओएस ने सूचित किया कि उन्होंने जोखिम रजिस्टर बनाए हैं एवं जोखिमों को चिन्हित किया है। रजिस्टर संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गए थे। इसी प्रकार महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों के मापन हेतु बैंचमार्कों का प्रबन्धन जो सेवाओं की गुणवत्ता एवं सामयिकता को कवर करते हैं, त्रुटिपूर्ण थे जैसाकि प्रणालीगत मुद्दों तथा वे जो एप्लीकेशन के कार्य क्षेत्र तथा कार्यात्मकता पर आधारित है, द्वारा इंगित किए गए थे।

नई दिल्ली **(नीलोत्पल गोस्वामी)**
दिनांक : 28 मई 2014 **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक : 30 मई 2014 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**